सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 प्रा0 पत्र सं0 08/2017

1. रामकिशोर
2. बीरम
3. नाथू लाल
4. रामनाथ
5. कानाराम पुत्रान् लालू
6. मु0 राजन्ती उर्फ बल्लो बेवा राम विलास समस्त जाति मीणा समस्त निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा
7. दीपक
8. सुखराम पुत्रान रामबिलास नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता मु0 राजन्ती उर्फ बल्लो निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा ..प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन लाल
2. मोती लाल पुत्रान कल्याण
3. हरबाई पत्नी कल्याण समस्त जाति मीणा निवासी निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा
4. आवंटन सलाहाकार समिति, दौसा जरिये अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार लालसोट जिला दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू—आवण्टन नियम—1970

उपस्थिति—1. श्री राज कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री अशोक बटवाल अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष

निर्णय दिनांक: 24.01.18

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970 इस प्रकार है कि यह प्रार्थना—पत्र अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के न्यायालय से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, के निर्णय दिनांक 13.04.2017 की पालना में इस न्यायालय को स्थानांतरित होकर प्राप्त होने पर प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण का संक्षेप में तथ्य है कि दिनांक 02.07.1973 को आ0ख0नं0 30 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन/नियमितिकरण **ग्राम निर्झरना** तहसील लालसोट जिला दौसा में अप्रार्थी सं0 एक व दो के पिता तथा अप्रार्थिया सं0 3 के पति कल्याण पुत्र मंगला मीना को कर दिया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) के तहत प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि आराजी खसरा नंबर 688/30 वर्तमान रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी भूमि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक पुराने खसरा नंबर 30 दर्ज रहे है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के उक्त आराजीयात पर मकानात आदि भी बने हुए है। उक्त आराजी भूमि पर प्रार्थी व उनके बुजुर्गान का भौतिक व वास्तविक स्थायी आधिपत्य होते हुए भी बिना कब्जे की जॉच किये अप्रार्थीगण के पिता कल्याण पुत्र मंगला मीना जो कि श्रीया गॉव का निवासी था दिनांक 02.07.1973 को 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया गया। ग्राम श्रीया में अप्रार्थी व उनके भाईयों के नाम 22 बीघा 9 बिस्वा कृषि योग्य भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।

अप्रार्थी स्वयं आवंटी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 7 बीघा 4 बिस्वा कृषि योग्य भूमि ग्राम श्रीया में थी। अतः उक्त प्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि उसकी व संयुक्त परिवार के खाते में कृषि योग्य भूमि हो तो उसे आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत किया गया है। उक्त आवंटन के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह प्रा0 पत्र आवंटन आदेश अधिकारी विहिन, क्षेत्राधिकार विहिन एवं शून्य आदेश है तथा ऐसे आदेशों को निरस्त करवाने के लिये मियाद अधिनियम कभी भी बाधा उत्पनन्न नहीं करती है। प्रकरण के संबंध न्यायिक उद्धरण अवलोकनीय व विचारणीय है। आरआरडी 1993 पेज नंबर 485, आरआरटी 1995 पेज नंबर 340,आरआरडी 1993 पेज नंबर 485, आरआरडी 1997 पेज नंबर 190,आरआरडी 1982 पेज नंबर 521,एआईआर 1972 एससी 749,आरआरटी 2015 (2) पेज 790 (आरबी) आदि प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि यह है कि तहसील लालसोट के ग्राम निरझ्रना के साबिक खसरा नम्बर 30 जो कि सिवायचक राजस्व रिकार्ड की भूमि थी की विधिवत नियमितिकरण पुराना कब्जा होने के कारण कल्याण वल्द मंगल्या मीना के नाम दिनांक 02.07.73 को 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि का भूमिहीन काश्तकार की पटवारी हल्का की रिपोर्ट को मध्य नजर रखते हुए नियमित किया गया। तत्पश्चात् आवंटित भूमि का विधिवत कब्जा सुपुर्द किया गया व गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया व् आवंटी कल्याण की मृत्यु होने के पश्चात् उसके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर उक्त आवंटी कल्याण पुत्र मंगला के वारिसान को पूर्ण खातेदारी अधिकार विधिवत रूप से प्रदान किये गये। जिसके फलस्वरूप कल्याण व उसके वारिसान उक्त आराजी पर आवंटन किये जाने के उपरान्त निरन्तर बहैसियत खातेदार काश्त कर लाभान्वित होते रहे है। उक्त आवंटन के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 06.04.77 एवं नामा0 संख्या 229 दिनांक 15.11.77 जो कि आवंटी के वारिसान के पक्ष में विधिवत रूप से भरा गया था की दो अपील क्रमशः 32/13 व 33/13 के माध्यम से 37 वर्ष पश्चात् सन् 2013 में प्रार्थीगण द्वारा चुनोती दी गई थी। किन्तु उक्त नामान्तरकरण को भी अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपने विधिवत आदेश दिनांक 02.02.16 के माध्यम से पूर्ण विधिवत मानते हुए प्रार्थीगण की उक्त दोनों अपीलें निरस्त की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा होना असत्य व मनगढत आधारों पर बताया गया है। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रश्नगत आराजी भूमि पर अपना कब्जा किसी भी प्रकार से पत्रावली पर नहीं है। आवंटी को विधिवत धारा 91 के तहत पूर्व में जारी किये गये नोटिस व मुताबिक पटवारी रिपोर्ट प्रार्थी को भूमिहीन कृषक मानते हुए पूर्ण विधिक तरीके से उक्त आराजी का आवंटन किया गया। यह है कि उक्त ग्राम निर्झरना व श्रीमा बिलकुल पास पास के गांव है तथा आवंटी ग्राम निर्झरना का भी निवासी है। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि जिस गांव की भूमि आवंटित की जाती है एवं उस गांव में यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है एवं अन्यत्र गांव के व्यक्ति को ऐसी दशा में यदि भूमि का अवांटन कर दिया जाता है तो वह किसी भी प्रकार से कानूनन अवैधानिक नहीं हो सकता है। ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा भूमि आवंटन कराने हेतु पेश किया गया हो ना तो अपने लिखित बहस में बताया और ना ही वरवक्त बहस में बताया इससे यह स्पष्ट है कि आवंटन हेतु किसी ने भी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण आवंटी कल्याण पुत्र मंगला को भूमिहीन कृषक होने के कारण आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में आवंटित भूमि पर स्वयं का काफी पुराना कब्जा होने बाबत असत्य तथ्य का भी उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है जिसके समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे को नियमन कराये जाने बाबत तत्समय कोई प्रार्थना पत्र लंबित नहीं था कानूनत आवंटन नियम 14(4) 1970 के तहत ऐसे किसी प्रार्थना पत्र के माध्यम से ऐसे आवंटन को कानूनन चुनौती नही दे सकता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है ऐसे नियमन की कार्यवाही को भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त जो कि 1996 आर आर डी पेज 525 पर उदद्त किया गया है कि माध्यम से भी कानूनन 37 वर्ष बाद चुनौती नही दी जा सकती है। जिसके फलस्वरूप भी उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आधारहीन तथ्यो के आधार पर उक्त

असत्य तथ्यों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । ऐसे आवंटन को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्वान्त को अनदेखा कर कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र कानूनन निरस्त किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी की ओर से निम्नलिखित कानूनी नजीरें प्रस्तुतः–1995 आरबीजे (2) पेज 734,1996 आरआरडी पेज 234,1995 आरबीजे (2) पेज 780,1995 डीएनजे पेज 592,1996 आरआरडी पेज 1993 आरआरडी पेज 596,1996 आरआरडी पेज 525,1994 आरआरडी पेज 87,1981 आरआरडी पेज 155 आदि प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 02.07.1973 बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष की मौखिक/ लिखित बहस पर मनन किया गया तथा उनके द्वारा बहस में अंकित न्यायिक दृष्टातों सहित पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है तहसीलदार लालसोट की पत्रावली दिनांक 12.04.73 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा जवाब नोटिस पेश किया जाना अंकित कर वास्ते सबूत पत्रावली नियत की गई व संवत 2027 व 2028 की नकल जमाबंदी शामिल कराई गई साथ ही गै0सा0 भूमिहीन होना अंकित कर एसडीओ को भिजवाना अंकित किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 15.06.73 को संवत 2027–2028 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा पर रैगुलेर कब्जा होना अंकित किया गया है। तत्पश्चात हस्ब राय आवंटन कमेटी खसरा नंबर 30 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि दिनांक 02.07.73 को कल्याण पुत्र मंगला मीना सा0 निर्झरना को नियमितिकरण की गई है। जिसका अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक होकर खातेदारी भी तस्दीक हो चुकी है। जहॉ तक प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा होना बताया है, प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत व कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। अप्रार्थी को वरवक्त मौके पर कब्जा के आधार पर नियमितिकरण किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी का वहॉ पुराना कब्जा था और नियमों के परिपेक्ष में कब्जे के आधार पर आवंटन/नियमितिकरण किया गया है । पत्रावली पर ऐसा कोई प्रार्थना–पत्र लंबित नहीं है, जिससे यह साबित हो सकें कि अप्रार्थी को इकतरफा या अवैधानिक रुप से आवंटित कर दिया गया हो। पत्रावली में संलग्न जामाबंदी संवत 2025–2028 में 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि अंकित है। जिसमें उसका नोशनल शेयर स्वयं प्रार्थी 7 बीघा 4 बिस्वा कहकर आये है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में आता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश में अप्रार्थी कल्याण को भूमिहीन होने पर ही नियमितिकरण किया गया है। आवंटन के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा दायर अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 02.02.16 को निरस्त की जा चुकी है। साथी ही प्रार्थीगण द्वारा लगभग 37 वर्ष पश्चात यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, जो मियाद के बिंदु पर ही चलने योग्य नहीं है। फिर भी प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा0पत्र व वरवक्त बहस में मियाद के बिंदु पर कई न्यायिक दृष्टात पेश कर प्रकरण को मियाद के अंदर ही सम्मिलित कर सुनवाई हेतु निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में जहॉ तक मियाद के बिंदु का प्रश्न है, तो हमने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि प्रकरण पर सीधा ही कोई विचार न किया जाकर प्रकरण को मैरिट पर ही सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत की पालना भी होती है तथा प्रकरण के संबंध में गुणावगुण पर विचार किया जाकर निर्णय पारित किया जाने में सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी होती हैं। इसलिए प्रकरण को मैरिट पर ही विचार किया गया है। न्यायालय हाजा को इस प्रकरण में केवल यह देखना कि अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियमों एवं प्रकिया के तहत किया गया है अथवा नहीं। इसलिए इस प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों, कानूनी नजीरों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी कल्याण को किया गया आवंटन/नियमितिकरण विधिवत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0 पत्र 14 (4) खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0 पत्र 14 (4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी कल्याण के पक्ष में किया गया आवंटन/नियमितिकरण दिनांक 02.07.1973 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 24 जनवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official